crores for the Annual Plan 1983-84. Against this, an outlay of Rs. 58 crores has been agreed to keeping in view the available resources.

अनुसूचित जातियों/जनजातियों की सूची

552. **श्री उत्तम राठौर :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने गत 15 वर्षों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की नई सूचियां तैयार करने के लिए दो बार प्रयास किया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस प्रयोजन के लिए दो बार संसदीय समितियां गठित की गई थीं और उन्होंने अपने प्रतिवेदन भी प्रस्तुत कर दिए थे; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (संशोधन) विधेयक, 1967 सम्बन्धी संयुक्त समिति ने अपना प्रतिवेदन नवम्बर, 1969 में प्रस्तुत किया था । अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति आदेश (संशोधन) विधेयक, 1978 सम्बन्धी संयुक्त समिति छठी लोक सभा भंग हो जाने के कारण अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकी ।

(ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की वर्तमान सूची में संशोधनों के लिए संविधान के 341 और 342 की दृष्टि से संसद द्वारा विधायन की आवश्यकता है । अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूची के संशोधन के सम्बन्ध में विभिन्न प्रस्तावों सुझावों, सिफारिशों और अभ्यावेदनों पर सम्बन्धित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों तथा भारत के महापंजीकार के साथ परामर्श करके तथा संगत मानदंडों के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूची में प्रस्तावित विस्तृत संशोधन के संदर्भ में विधिवत् विचार किया जा रहा है । कुछ राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से टिप्पणियों की प्रतीक्षा है और उनको नियमित रूप से अनुस्मारक भेजे जा रहे हैं।

गुजरात में काकदापुर में परमाणु विद्युत केन्द्र की स्थापना से प्रभावित जनजाति परिवार

553. **श्री छोटूभाई गामित** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में काकदापुर परमाणु विद्युत केन्द्र की स्थापना से कितने जनजाति परिवारों की जमीन, मकान आदि प्रभावित हुए हैं और उसका ब्यौरा क्या है।

(ख) क्या सरकार ने मुआवजा देकर प्रभावित लोगों को कोई विशेष सुविधाएं देने का निर्णय किया है ; यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) प्रभावित जनजाति परिवारों ने अपने पुनर्वास के लिए जो सुविधाएं मांगी हैं उनका ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाये जा रहे हैं ?